भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्ना सं.*553

जिसका उत्तर बुधवार, 12 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा

***553. श्री हरिंदर सिंह खालसा :**

श्रीमती कोथापल्ली गीता :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) अधीनस्थ न्यायपालिका हेतु अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस विषय पर राज्य सरकारों और न्यायालयों द्वारा दिए गए विभिन्न दृष्टिकोणों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में परामर्श की प्रक्रिया पूरी कर ली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस संबंध में विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा उठाई गई आपंत्तियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय तथा इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (घ) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

<u>लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *553 जिसका उत्तर तारीख 12.04.2017 को दिया जाना है के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।</u>

(क) से (घ) : अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (ए आई जे एस) के गठन के लिए एक व्यापक प्रस्ताव बनाया गया था और उसे नवम्बर, 2012 को सचिवों की समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था । अप्रैल, 2013 में आयोजित मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में यह प्रस्ताव कार्यसूची की एक मद के रुप में सम्मिलित किया गया था और यह विनिश्चय किया गया था कि मुद्दे पर और विचार-विमर्श किए जाने की आवश्यकता है । प्रस्ताव पर, राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के विचार मांगे गए थे । अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के बीच राय की भिन्नता थी । कुछ राज्य सरकारों और उच्च न्यायालय अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन के पक्ष में नहीं थे और कुछ अन्य मामलों में राज्य सरकारें और उच्च न्यायालय , केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए प्रस्ताव में परिवर्तन चाहते थे।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के लिए सचिवों की समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर केवल सिक्किम और त्रिपुरा के उच्च न्यायालय सहमत हुए हैं । इलाहाबाद , छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश , मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा और उत्तराखंड उच्च न्यायालयों ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों में प्रवेश स्तर पर आयु , अर्हताओं, प्रशिक्षण और कोटे में परिवर्तनों का सुझाव दिया है । शेष उच्चक न्यायालयों ने इस सुझाव का समर्थन नहीं किया । अधिकतर उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायपालिका पर प्रशासनिक नियंत्रण, संबंधित उच्च न्यायालय के पास रहने देना चाहते हैं । झारखंड और राजस्थान उच्च न्यायालय ने उपदर्शित किया है कि एआईजेएस के सृजन संबंधी मामला विचाराधीन है । कलकत्ता , जम्मू और कश्मीर तथा गुवाहाटी उच्च न्यायालयों से कोई भी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ।

अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और पंजाब की राज्य सरकारें एआईजेएस के सृजन का समर्थन नहीं करती हैं । महाराष्ट्र राज्य सरकार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएसएफसी) स्तर पर भर्ती करवाना चाहती है, जो भारत के संविधान में सम्मिलित एआईजेएस के उपबंधों के अनुरूप नहीं है । बिहार , छत्तीसगढ़, मणिपुर, उड़ीसा और उत्तराखंड की सरकारें, केंद्रीय सरकार द्वारा विरचित प्रस्ताव में परिवर्तन चाहती हैं । हरियाणा की राज्य

सरकार ने कथन किया है कि प्रस्ताव न्यायोचित प्रतीत होता है । मिजोरम की राज्य सरकार ने एआईजेएस के सृजन का आईएएस, आईपीएस और अन्य केंद्रीय सेवाओं की तर्ज पर समर्थन किया है । जम्मू और कश्मीर राज्य ने उल्लेख किया है कि 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में सम्मिलित एआईजेएस के सृजन के लिए भारत के संविधान के उपबंध जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू नहीं होते । शेष राज्यों से अभी तक कोई प्रतिक्रिया प्राप्त् नहीं हुई है ।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन हेतु प्रस्ताव, उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों से उस पर प्राप्त विचारों के साथ मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के 5 अप्रैल, 2015 को आयोजित संयुक्त सम्मेलन की कार्य सूची में सम्मिलित किया गया था । तथापि, विषय पर कोई प्रगति नहीं हुई । जिला न्यायाधीशों के पद पर भर्ती की सहायता हेतु न्यायिक सेवा आयोग का गठन, और न्यायाधीशों/ न्यायिक अधिकारियों की सभी स्तरों पर चयन प्रक्रिया का पुनर्विलोकन करने हेतु मामला मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन, जो तारीख 3 और 4 अप्रैल, 2015 को आयोजित हुआ था, की कार्यसूची में सम्मिलित किया गया था, जिसमें यह संकल्प लिया गया था कि जिला न्यायाधीशों की शीघ्रतापूर्वक नियुक्ति हेतु विद्यमान प्रणाली में रिक्तियां भरने के लिए समुचित पद्धतियां विकसित करने का मामला संबद्ध उच्च न्यायालयों के लिए खुला छोड़ दिया जाए।

तथापि, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन पर पणधारियों के मध्य राय की भिन्नता को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने सामान्य आधार पर पहुंचने के लिए परामर्शी प्रक्रिया को अपनाया है । तथापि, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा एक प्रशंसनीय विचार है, जो न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया में नई प्रतिभा को लाने में सहायक होगा और उच्चतर न्यायपालिका में अपर्याप्त रुप से प्रतिनिधित्व वाले समुदाय से योग्य अभ्यर्थियों के प्रतिनिधित्व के लिए भी अवसर प्रदान करेगी ।

****